

आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

जगदीशसिंह



बनाम

भूपेन्द्रसिंह आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

अपील संख्या

148 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
22.07.19	<p>वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील रेस्पों. 5 से 8 ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। इस लिए अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे। इसके साथ वकील रेस्पों. ने दफा 5 मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब व प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 सीपीसी का जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र व जवाब की प्रतियां वकील अपीलांट को दी गईं। वकील अपीलांट ने इनका कोई जवाब पेश नहीं किया। इस स्तर पर वकील अपीलांट ने प्रकरण में पैरवी की हिदायत नहीं होने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट पैरवी की हिदायत नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।</p> <p style="text-align: right;"> राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)</p>	<p style="text-align: center;"></p>